–

प्रेस नोट **दिनांक 27.10.2020**

सराहनीय कार्य जनपद बागपत

एक करोड़ की फिरौती के लिए किये गये लोहा व्यापारी के अपहरण की घटना का सफल/सम्पूर्ण अनावरण, घटना में संलिप्त आठ अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त एक कार वैगन–आर, एक मोटर साईकिल बुलेट, अपहृत के एक मोबाईल फोन सहित 09 फोन व 05 लाख रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1–गौरव जैन पुत्र विरेन्द्र जैन निवासी इमली वाली गली गाँधी रोड कस्बा व थाना बडौत, बागपत।
2–अभिषेक जैन पुत्र रमेशचन्द जैन निवासी कुन्दनपुरी रेलवे रोड कस्बा व थाना बडौत, बागपत।
3–अमित पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जिला बागपत।
4–सुमित पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।
5–मोहसिन पुत्र काला निवासी ग्राम जिवाना थाना बिनौली जनपद बागपत।
6–अनुज पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम जिवाना थाना बिनौली जनपद बागपत।
7–अश्वनी उर्फ प्रिन्स पुत्र विनोद निवासी कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
8–राकी पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण–

1–घटना मे प्रयुक्त एक कार वैगन–आर।
2–घटना मे प्रयुक्त एक बुलेट मोटर साईकिल।
3–अपहृत आदेष जैन का एक मोबाईल फोन।
4–पाँच लाख रुपये नगद।
5–घटना में अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किये गये 08 मोबाईल फोन।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

दिनांक 26.10.2020 को वादी श्री अर्पित जैन पुत्र आदेष जैन निवासी मौहल्ला खत्री गढी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि मेरे पिता आदेष जैन (लोहा व्यापारी) सुबह समय करीब 05:00 बजे घर से पैदल अपने लोहा गोदाम के लिए निकले थे। मेरे पिता के मोबाईल नम्बर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दी कि हम लोगों ने तुम्हारे पिता का अपहरण कर लिया है जो हमारे कब्जे में हैं हमे एक करोड रूपये दे दो, नही तो हम तुम्हारे पिता आदेष जैन (लोहा व्यापारी) की हत्या कर देंगें। मैने घर के आस–पास की सीसीटीवी फुटेज देखी तो मेरे पिता को वैगन–आर कार में अपहरण करके ले जाते हुए दिखाई दिये। आवेदक की इस सूचना के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 903/2020 धारा 364ए भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ की गयी।

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तुरन्त घटनास्थल पहुँचकर आवश्यक साक्ष्य, जानकारी ली गयी। फिरौती हेतु अपहरण की उक्त घटना के अपहृत लोहा व्यवसायी की सकुषल बरामदगी एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, बागपत द्वारा 8 विषेष टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देश दिये गये। जनपद के अन्दर, अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं के नाकों एवं बैरियर पर सघन चैकिंग की शुरूआत करायी तथा पूरे जनपद में नाकेबन्दी की स्कीम लागू करते हुए जनपद में समस्त चार पहिया एवं दोपहिया वाहनों की सघन चैकिंग करायी गयी। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये। उपरोक्त घटना के अनावरण हेतु एसटीएफ की मेरठ यूनिट को भी सक्रिय किया गया। मुखबिर की सूचना एवं सीसीटीवी फुटेज में अपहरण कर ले जाती हुई वैगन–आर कार को उस क्षेत्र एवं ग्राम बिजरौल के जंगल में पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा लगभग 150 पुलिस कर्मियों के साथ सघन चैकिंग

एवं ताबड़तोड़ दबिशें दी गयीं। उस एरिया के सभी भट्टों, ट्यूबवेल, निर्जन पड़े मकानों की गहन तलाशी करायी गयी। चैकिंग/तलाशी हेतु ड्रोन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा की गयी ताबड़तोड़ कार्यवाही से भयभीत होकर अपराधियों ने दिनांक 26.10.2020 को ही अपहृत लोहा व्यापारी को ग्राम रटौल के पास छोड़ दिया जिन्हें 06 घंटे के अन्दर ही सकुशल बरामद कर लिया गया था। अपहृत व्यावसायी की बरामदगी के उपरान्त पूछताछ की गयी। पुख्ता जानकारी व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की महत्वपूर्ण साक्ष्य के उपरान्त बागपत पुलिस व एसटीएफ की टीमें घटना के पश्चात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर प्रयास कर रहीं थीं इसी क्रम में आज दिनांक 27.10.2020 को विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मोबाईल डाटा के गहन विश्लेषण से गौरव जैन व अभिषेक जैन की संलिप्तता प्रकाश में आयी जो कि अपहरत के पारिवारिक सहयोगी व करीबी हैं। इस जानकारी के पश्चात गौरव जैन व अभिषेक जैन को थाना बड़ौत क्षेत्रान्तर्गत बिजरौल रोड़ जाट कॉलेज के पास से समय करीब 10:30 पर हिरासत में लेकर गहन पूछताछ पर घटना कुबूल की तथा यह बताया कि उपरोक्त घटना हम दोनों ने अपने छः अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर की है। घटना कारित कराने के लिए गौरव जैन व अभिषेक जैन ने 05 लाख रूपये घटना के पहले देने की बात कुबूल की। गौरव जैन ने यह भी बताया कि अपहरण करने वाली टीम को बची रकम आज देनी है इस हेतु वह लोग ग्राम बिजरौल में पानी की टंकी के पास आने वाले हैं। इसी जानकारी पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर उपरोक्त पाँचों अभियुक्तों 1–अमित, 2–सुमित, 3–मोहसिन, 4–अनुज, 5–अश्वनी उर्फ प्रिन्स, को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से अग्रेतर पूछताछ के पश्चात अपहरण के लिए वैगन–आर कार उपलब्ध कराने वाले रॉकी पुत्र ब्रजपाल को उसके घर ग्राम बिजरौल से गिरफ्तार किया गया।

<u>पूछताछ का संक्षिप्त विवरण–</u>

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने संयुक्त रुप से मुख्य अभियुक्त एवं षडयंत्रकर्ता गौरव जैन व अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि गौरव का आदेष जैन के साथ पारिवारिक सम्बन्ध है तथा गौरव का आदेष जैन के घर पर आना–जाना लगा रहता था इस कारण गौरव को आदेष जैन के व्यवसाय एवं पारिवारिक गतिविधियों की सम्पूर्ण जानकारी थी तथा गौरव एवं अभिषेक जैन की करीब 15 साल से दोस्ती है। इन दोनो ने करीब 03 माह पूर्व भी आदेष जैन या उसके बेटे अर्पित जैन का अपहरण करने के लिए योजना बनायी थी जिसका प्रयास भी किया गया था परन्तु सफल नही हो सके थे। इसके पष्चात इन लोगों ने आदेष जैन के अपहरण की पुनः योजना तैयार की। योजना के अनुसार अभिषेक जैन की कपडे की दुकान पर काम करने वाले अमित के भाई सुमित द्वारा तीन अपराधियों 1–मोहसीन 2–अनुज 3–अष्विनी उर्फ प्रिन्स को तैयार किया, तथा योजना के अनुसार इनके द्वारा 02 टीमें बनायी गयी। पहली टीम में गौरव, अभिषेक, अमित, सुमित थे। इनमें गौरव को अपहृत के घर पर नजर रखनी थी कि परिवार के लोग पुलिस को क्या जानकरी दे रहे है तथा अभिषेक जैन द्वारा फिरोती की रकम के लिए कॉल करने एवं अमित व सुमित द्वारा दूसरी टीम से समनव्य स्थापित करना था। दूसरी टीम में मोहसीन, अष्विनी उर्फ प्रिन्स व अनुज थे। मोहसीन द्वारा वैगनार कार को ड्राईव करना था तथा अष्विनी उर्फ प्रिन्स व अनुज द्वारा अपहरण कर आदेष जैन को कार में डालना था। अपहरण के लिए वैगनार कार रॉकी पुत्र ब्रजपाल निवासी महावीर मार्ग कस्बा बडौत द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। योजना के अनुसार दिनाँक 26.10.2020 को प्रातः 04.30 बजे से ही मुख्य अभियुक्त अभिषेक जैन के द्वारा रैकी के लिए अमित व सुमित को घर के पास लगा दिया, जैसे ही आदेष जैन सुबह दुकान जाने के लिए घर से बाहर निकले तो अभिषेक जैन द्वारा योजना के अनुसार अनुज व अश्वनी ने आदेष जैन को बल पूर्वक गाडी मे डाल लिया और मोहसिन गाडी को ड्राईव करते हुए तेज गति से बिराल, बिजरौल होते हुए जंगल के रास्ते अमीनगर सराय, डोला होते हुए रटौल क्षेत्र मे ले गये। अपहृत का फोन मौके से छीनकर अनुज व अश्वनी ने बिजरौल मे पहले से मौजूद अभिषेक जैन व अमित व सुमित को दे दिया, इस फोन को ऑन करके अभिषेक जैन द्वारा सुबह समय करीब 06:00 बजे अपहृत के बेटे अर्पित जैन को 1 करोड की फिरौती के लिए फोन किया तथा रूपये नही देने पर हत्या करने की धमकी दी। चूकि अमित व सुमित, आदेष जैन को पहचानते थे इसलिए उन्होने मुखबिरी की, और जैसे ही आदेष जैन आते दिखाई दिये तो बाकी तीनो अभियुक्तों (मोहसीन, अनुज,

अष्विनी उर्फ प्रिन्स) को इषारा करते हुए वहां से चले गये। इस पर अन्य तीनों अभियुक्तों में से अनुज व अष्विनी ने आदेष जैन को गाडी में जबरन बैठाया और तुरन्त अपहरण कर ले गये। उन्होने यह भी बताया कि पुलिस ने पूरे जिले में घेराबन्दी कर दी थी। जिससे महसूस होने लगा था कि फिरौती की रकम वसूल नही पाऐंगें और न ही बचकर निकल पाऐंगें। जिस कारण हम लोगों ने भयभीत होकर अपहृत को रटौल में ही छोडकर हम फरार हो गये।

अभिषेक जैन व गौरव जैन ने पूछने पर यह भी बताया कि अपहरणकर्ताओ को घटना के अंजाम के लिए पूर्व में ही 05 लाख रुपये दिये जा चुके थे तथा तयषुदा धनराषि देने के सम्बन्ध में वार्ता करनी थी। रूपये लेने के बाद यह लोग बागपत छोडकर कही बाहर चले जाते। अभिषेक जैन के पास से ही अपहृत का मोबाईल फोन बरामद हुआ। अभिलेखों के अवलोकन के अनुसार गिरफ्तार सभी अपराधियों का अभी कोई अपराधिक इतिहास ज्ञात नही हो सका है।

नोट—फिरौती हेतु अपहरण की उक्त घटना का सफल/सम्पूर्ण अनावरण करने वाली जनपद बागपत पुलिस टीमों को श्रीमान अपर मुख्य सचिव (गृह), महोदय उत्तर प्रदेष द्वारा 02 लाख रूपये पुरूस्कार की घोषणा की है।

<u>घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीमों का विवरण—</u>

<u>टीम प्रथम—</u> 1—थानाध्यक्ष बडौत—अजय षर्मा
2—उपनिरीक्षक अमोल षर्मा—थाना बडौत
3—उपनिरीक्षक नेपाल सिंह—थाना बडौत
4—उपनिरीक्षक ब्रिजेष देवल—थाना बडौत
5—उपनिरक्षक नसीम अहमद—थाना बडौत
6—उपनिरीक्षक मुकेष—थाना बडौत
7—का0 229 देवेष कसाना—थाना बडौत
8—का0 461 रोहित भाटी—थाना बडौत
9—का0 478 अजित—थाना बडौत
10—का0 355 हरीस—थाना बडौत
11—का0 1691 अंसुल—थाना बडौत
12—का0 1792 वरूणवीर—थाना बडौत
13—का0 460 आनन्द गुर्जर—थाना बडौत
14—का0 अमित षर्मा—थाना छपरौली

<u>टीम द्वितीय—</u> 15—प्रभारी निरीक्षक सिंघावली अहीर षिव प्रकाष सिंह
16—का0 342 सुनील कुमार—थाना सिंघावली अहीर

<u>टीम तृतीय—</u> 17—उपनिरीक्षक नितिन पाण्डेय—सर्विलांस टीम
18—का0 702 अरूण—सर्विलांस टीम
19—का0 261 दीपक—सर्विलांस टीम
20—का0 519 अनिल—सर्विलांस टीम

<u>टीम चतुर्थ—</u> 21—थाना प्रभारी रमाला हेमेन्द्र बालियान
22—कां0 153 अमित कुमार—थाना रमाला,
23—कां0 525 महेश कुमार—थाना रमाला,
24—कां0 504 अशोक कुमार—थाना रमाला
25—कां0 90 हरेन्द्र कुमार—थाना रमाला

- **10 लाख रूपये कीमत की अवैध षराब (141 पेटी) देषी/अंग्रेजी षराब सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक पिकअप गाडी नाजायज बरामद।**

थाना खेकडा–पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 26.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान सांकरौद रोड से अभियुक्त राजाराम पुत्र नाथूलाल निवासी मौहल्ला जगतपुरी थाना बारहदरी जनपद बरेली को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पकअप गाडी नम्बर डीएल–1एलपी–6215 में तस्करी कर लाई जा रही 140 पेटी अंग्रेजी षराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रमाला–पुलिस द्वारा दिनांक 26.10.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान ग्राम बासौली चौराहे से अभियुक्त रिंकू पुत्र सतनारायण निवासी ग्राम अरावला थाना मतलोडा जनपद पानीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से 46 पव्वे देषी षराब यूपी मार्का बरामद किया गया। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना चांदीनगर–पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.10.2020 को ग्राम ढिकोली से मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 164/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त सचिन उर्फ गुडडु पुत्र सुभाष निवासी ग्राम ढिकोली थाना चांदीनगर जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना रमाला–पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.10.2020 को वारण्टी अभियुक्त सलीम पुत्र हबीब निवासी ग्राम बिराल थाना रमाला जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरूद्व थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।